

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम [आर.ए.एस.]

प्रकरण संख्या: 343/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/489)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बलवन्त सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एच तहसील श्रीकरणपुर।		1. जसविन्द्र कौर पत्नी सतविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एच तहसील श्रीकरणपुर। 2. बलविन्द्र कौर पत्नी राजविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एच तहसील श्रीकरणपुर। 3. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

तारीख रजू 06.11.2025

उपस्थित: 1. श्री इन्द्राज सेजु अधिवक्ता वादी

3. श्री श्याम लाल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2

—निर्णय—

दिनांक: 24.12.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 29 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नगगी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 44/44 के मुरब्बा नम्बर 46 की कुल 2.404 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व ग्राम 29 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नगगी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 86/46 के मुरब्बा नम्बर 12, 45, 59/41 की कुल 1.936 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी व प्रतिवादीगण आपस में जान पहचान व एक ही गांव के सदस्यगण है और स्थायी काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा कृषि भूमि का आपसी सहूलियत के अनुसार पिछले काफी समय से विभाजन किया हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी ने उक्त भूमि को आपसी सहूलियत से बंटवारा किया हुआ है। बंटवारानामा अनुसार मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 21 की 0.253 हैक्टेयर भूमि में से 0.024 हैक्टेयर भूमि वादी सुपुर्द की हुई है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1, 2 को अन्य कृषि भूमि सुविधा उपलब्ध करवायी हुई है। इसी प्रकार से वादी एवं प्रतिवादीगण कब्जा काश्त है। राजस्व अभिलेख में वादी के नाम मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 21 की 0.024 हैक्टेयर भूमि दर्ज नहीं होने के कारण वादी को कोई असुविधा होती है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1, 2 को कई बार कहा था कि वह सहमति से भूमि का अंकन करवा देवे, तो प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने कहा कि कब्जा भूमि का मुताबिक बंटवारा के अनुसार आपको दिया हुआ है तथा आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम जल्द ही भूमि को भारमुक्त करवाकर भूमि का अंकन करवा देंगे। आज से 1 माह पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1, 2 को आग्रह किया था कि वह सहमति से पारिवारिक बंटवारा के अनुसार मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 21 की 0.024 हैक्टेयर भूमि का अंकन राजस्व अभिलेख में वादी के नाम से दर्ज करवा देवे, तो प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 29 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नगगी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 86/46 के मुरब्बा नम्बर 12, 45, 59/41 की कुल 1.936 हैक्टेयर भूमि में से मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 21 की 0.024 हैक्टेयर भूमि का वादी को खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम लाल उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा के अनुसार राजस्व ग्राम 29 एच के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 21 की 0.024 हैक्टेयर भूमि का वादी को खातेदार किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई आपत्ति, एतराज नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से सहमति का जवाबदावा पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए।




सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादी का वादपत्र प्रस्तुत जवाबदावा अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादी का वादपत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत सहमति जवाबदावा अनुसार डिक्री किये जाने की ईशतदुआ की है। वादी का वादपत्र, जवाबदावा मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी का वाद पत्र उभयपक्ष की सहमति मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

--:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी, विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादी बलवन्त सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह को राजस्व ग्राम 29 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 86/46 के मुरब्बा नम्बर 12, 45, 59/41 की कुल 1.936 हैक्टेयर भूमि में से मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 21 की 0.024 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।


सहायक कलेक्टर (ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलासे सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर (ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर



अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बलवन्त सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एच तहसील श्रीकरणपुर।		1. जसविन्द्र कौर पत्नी सतविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एच तहसील श्रीकरणपुर। 2. बलविन्द्र कौर पत्नी राजविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एच तहसील श्रीकरणपुर। 3. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।


वादपत्र धारा अन्तर्गत 88, 91, 209 आरटीए

मुकदमा नम्बर 343/2025

निर्णय दिनांक :-24.12.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री श्याम लाल उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादी बलवन्त सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह को राजस्व ग्राम 29 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 86/46 के मुरब्बा नम्बर 12, 45, 59/41 की कुल 1.936 हैक्टेयर भूमि में से मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 21 की 0.024 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 24.12.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)


मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	04	00



क्रमांक: रीडर/2025/943

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।


सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
दिनांक: 24.12.2025


सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)